न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 110/16 (RCMS No. 2016/00074) (धारा 90ए भू राजस्व अधिनियम)

कु0 रघुराज सिंह पुत्र स्व0 श्री राव राजा यदुराज सिंह जाति जाट निवासी काकाजी की कोठी लक्ष्मी विलास पैलेस, भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

शेर सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी यदुराज नगर भरतपुर

.....रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर दिनांक 16.01.2013

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह वकील अपीलान्ट

नि र्ण य **दिनांकः 20.04.2018**

यह अपील नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा जारी पट्टा सं0 4088 दिनांक 16.01.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 शेर सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी यदुराज नगर भरतपुर को ख0नं0 2800 भरतपुर चक नं0 3 में से आवासीय भूखण्ड संख्या 25 क्षेत्रफल 291.28 वर्गगज भूमि का पट्टा प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा दिनांक 16.01.2013 को जारी किया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही आया। रैस्पो0 को बार—बार आबाजें दिलाई गई। रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौका व रिकार्ड के विपरीत पट्टा जारी किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। अपीलान्ट विवादित आराजी ख0 नं0 2958 हाल ख0 नं0 2800 वॉके चक नं0 3 कस्वा भरतपुर का रिकार्डेड खातेदार है। इस ख0 नं0 2800 में से प्लाट नं0 25 क्षेत्रफल 291.28 वर्गगज की बाबत कार्यवाही वहक रैस्पो0 की गई है। इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई जॉच की है और

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न ही कोई नोटिस दिया है। रैस्पो0 ने अपीलान्ट की उक्त आराजी में से प्लाट नं0 25 का स्वामित्व हेतु कथित अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 03.08.89 के आधार पर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि उक्त प्लाट को जरिये उक्त अपंजीकृत इकरारनामा 12 हजार रूपये में अपीलान्ट से क्रय किया था जबकि सही बात यह है कि अपीलान्ट ने कोई कथित इकरारनामा रैस्पो0 के हक में दिनांक 03.08.89 को तहरीर नही किया ओर न ही कोई प्रतिफल राशि 12 हजार रूपये रैस्पो0 से प्राप्त की है और न ही प्लाट का कब्जा दिया गया है। रैस्पो0 ने उक्त कथित अपंजीकृत इकरारनामा फर्जी तैयार कर अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर करते हुऐ तैयार कर लिया है। रैस्पो0 ने उक्त कथित इकरारनामा को किसी भी नोटेरी पब्लिक से तस्दीक नही कराया है फिर भी प्राधिकृत अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास ने इन समस्त तथ्यों की बाबत् कोई जॉच नही की तथा विधि विरूद्ध फर्जी इकरारनामे के आधार पर आदेश/पट्टा जारी कर दिया है। रैस्पो0 द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही अवैध अनाधिकृत, कूटरचित व फर्जी करायी गई है जो अपीलान्ट के विरूद्ध निस्प्रभावी व शून्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश पट्टा क्रमांक 4088 दिनांक 16.01.13 निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट विवादित आराजी ख0 नं0 2958 हाल ख0 नं0 2800 वॉके चक नं0 3 कस्बा भरतपुर का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट ने कोई कथित इकरारनामा रैस्पो0 के हक में दिनांक 03.08.89 को तहरीर नही किया और न ही कोई प्रतिफल राशि 12 हजार रूपये रैस्पो0 से प्राप्त की है और न ही प्लाट का कब्जा दिया गया है। रैस्पो0 ने उक्त कथित अपंजीकृत इकरारनामा फर्जी तैयार कर अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर करते हुऐ तैयार कर लिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रारूप–15 शपथ पत्र श्री रघुराज सिंह पुत्र यदुराज सिंह में श्री रघुराज सिंह के हस्ताक्षर हो रहे हैं। उन हस्ताक्षरों को एवं रैस्पो0 के इकरारनामा पर हो रहे रघुराज सिंह के हस्ताक्षरों का किसी प्रकार मिलान नही होता है। इससे अपीलान्ट के कथन कि उन्होंने कोई इकरारनामा रैस्पो0 को नही किया है, रैस्पो0 ने फर्जी हस्ताक्षर किये हैं, को बल मिलता है। रैस्पो0 के इकरारनामा को सही नही माना जा सकता है। नगर सुधार न्यास द्वारा इकरारनामे के संबंध में कोई जॉच नही की है। इकरारनामा किसी नोटेरी पब्लिक से भी प्रमाणित नही है। ऐसे इकरारनामा को विधिसम्मत् नही माना जा सकता है और इसके आधार पर नगर सुधार न्यास द्वारा जारी पट्टे को उचित नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में नगर सुधार न्यास द्वारा जारी पट्टा नियम विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टा विलेख क्रमाक 4088 दिनांक 16.01.13 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official